बालकों को शोषण से बचाने के लिए, विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र विद्यमान है। इन अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों पर अभियोग चलाए जा सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश

1387. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार के निर्देशों की उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में राज्य आयोग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं एवं दिनांक 30 जून, 1995 तक कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से राज्य आयोगों में 24,107 मामले दायर हुए हैं, जिनमें से 12,903 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

Chari Committee for the working of coal industry

1388. SHRI ; PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether a Committee has been appointed under the Chairmanship of Shri K.S.R. Chari to look into the working of the coal industry and for framing a new policy about the coal industry;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the terms of reference of the Committee;

(d) whether the Committee will also consider, with an open mind, the privatisation of coal industry as has been done in other various sectors of the economy;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The Planning Commission has constituted a Committee on Integrated Coal Policy under the Chairmanship of Shri K.S.R. Chari.

(b) The composition of the committee is given below:

1.	Shri K.S.R. Chari	Chairman
2.	Secretary, Ministry of Power	Member
3.	Secretary, Ministry of Coal	Member
4.	Member (Transportation), Rly. Board	Member
5.	Chairman, Coal India Limited	Member
6.	Chairman & Managing Director, NTPC	Member
7.	Shri R.G. Mahendru, Former Chairman, CMPDI	Member
8.	Adviser (Energy), Planning Commission	Member Secretary

(c) The terms of reference of the Committee are given in the enclosed statement. (*See* below)

(d) to (f) The terms of reference of the Committee cover the aspect of adoption of an appropriate policy package so as to attract private investment.